

न्यायालय: अतुल यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिलवानी
जिला रायसेन (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक : 406 / 2022

फा.नं. आर.सी.टी. 665 / 2022

सी.एन.आर. नंबर एम.पी.3809000718 / 2022

संस्थापन / फाईलिंग दिनांक 04 / 11 / 2022

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा,

थाना प्रभारी,

थाना बम्होरी जिला रायसेन म.प्र.

.....अभियोजन

बनाम

अशोक पिता कान्ताप्रसाद कुशवाह,

उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम कुण्डाली थाना बम्होरी जिला रायसेन म.प्र.

.....अभियुक्त

पुलिस थाना बम्होरी जिला रायसेन के अपराध कं. 152 / 2022 अन्तर्गत धारा 34 (1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत प्रकरण।

--- नि र्ण य ---

(आज दिनांक-04 / 11 / 2022 को घोषित)

1. अभियुक्त के विरुद्ध धारा-34 (1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का अभियोग इस आधार पर है कि उसने दिनांक 18 / 10 / 2022 को 13.00 बजे, थाना बम्होरी के अंतर्गत ग्राम कुण्डाली स्थित पंचायत भवन के पास 3 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे।
2. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किया जाना निर्विवादित तथ्य है।
3. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को अभियुक्त के पास 3 लीटर हाथभट्टी की कच्ची महुआ शराब रखे मिले जिसके संबंध में लाइसेंस न होने से जप्ती पत्रक अनुसार जप्त की गयी तथा उक्त संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी को सूचना देने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
4. अभियुक्त को अपराध-विवरण की रचना कर अपराध की विशिष्टीयों पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया।

 04/11/22

5. प्रकरण के न्यायोचित निराकरण के लिए इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 18/10/2022 को 13.00 बजे, थाना बम्होरी के अंतर्गत ग्राम कुण्डाली स्थित पंचायत भवन के पास 3 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी ?

---:: सकारण निष्कर्ष ::---

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

6. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है। उक्त स्वीकारोक्ति बिना किसी दबाव या प्रलोभन के प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-34 (1)(क) के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

7. अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-34 (1)(क) के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 600/- रुपया के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

8. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ती 3 लीटर हाथभट्टी की कच्ची महुआ शराब को अपील अवधि पश्चात् तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत किया जावे।

9. निर्णय की एक निशुल्क प्रति अभियुक्त को उपलब्ध करायी जावे।

10. प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. एवं आपराधिक पंजी में दर्ज कर निर्णय की प्रति सी.आई.एस. में अपलोड की जावे एवं प्रकरण के अभिलेख विधिवत् कार्यवाही उपरांत अभिलेखागार भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(अतुल साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिलवानी जिला रायसेन म.प्र.

(अतुल साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिलवानी जिला रायसेन म.प्र.

टंकनकर्ता-रामेश्वर साहू- साक्ष्य लेखक